

Doc-1824/2018

Arabco




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP04129528448910Q  
Certificate Issued Date : 03-Feb-2018 12:48 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0104969483079420Q  
Purchased by : VIPIN SINGH  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : MAUJA GIRDHARPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : BHAGWAN SINGH  
Second Party : VIPIN SINGH  
Stamp Duty Paid By : VIPIN SINGH  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 17,94,600  
(Seventeen Lakh Ninety Four Thousand Six Hundred only)



Please write or type below this line

ने-मालाहरे

नवावारे रावरा मुरारिडे

Arabco



UP 0005157252

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



॥ ओउम सिद्धिदात्री नमः ॥

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
  2. स्थित : मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा।
  3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : **बिक्रय रकवा 1.1745 हैक्टेअर**
  4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
  5. प्रतिफल की धनराशि : 1,82,04,750 / -रुपये
  6. मालियत : 2,93,63,000 / -रु.
  7. देय स्टाम्प : 20,55,500 / -रु. जिसमें वक्त इकरारनामा देय स्टाम्प-2,35,000 / -रु व मुजरा स्टाम्प-2,34,900 / -रु वक्त बैनामा देय स्टाम्प-18,20,600 / -रु जिसमें जनरल स्टाम्प-26,000 / -रु व 17,94,600 / -रु ई-स्टाम्प दिनांक 03.02.2018 जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है।
  8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट -2,50,00,000 / -रुपया प्रति हैक्टेअर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।
- कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक । मथुरा।

29/1/18

वि. मा. मा. नं. 1/18

न. मा. मा. नं. 2/18

मुरी, री. नं. 1/18

Alshayec

28/1/18





उत्तर प्रदेश UTTAR PR

AS 423596

(2)

प्रथम पक्ष की संख्या : (5)

विक्रेता का विवरण

भगवान सिंह व नबाब सिंह पुत्रगण स्व० श्री हीरालाल व राजेन्द्र सिंह व भूरी सिंह व अशोक कुमार पुत्रगण स्व० श्री हरी सिंह निवासीगण नगला अमरा भाग नौगाँव तहसील व जिला मथुरा। Ph 9719404056

पैन : आई एफ वाई पी एस 8065 जी - भगवान सिंह

पैन : आई आर डी पी एस 3393 एन - नबाब सिंह

पैन : सी एस ओ पी आर 4066 बी - राजेन्द्र सिंह

पैन : आई एस जेड पी एस 0446 एच - भूरी सिंह

पैन : सी एन यू पी के 9210 के - अशोक कुमार

द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)

क्रेता का विवरण

विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूंगरा सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा। Ph 8859404056

पैन : बी यू एफ पी एस 3834 क्यू

10- भगवान सिंह  
नबाब सिंह  
भूरी सिंह  
अशोक कुमार  
विपिन सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 423597

(3)


जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1417-1422 के अनुसार खाता संख्या 106 खसरा संख्या 96 रकवा 2.3490 हैक्टेअर लगानी 48.70 रुपया सालाना स्थित मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा, सम्पूर्ण अंश मिल्कियत विक्रेतागण की आराजी भूमिधरी है, जो हम विक्रेतागण को अपने पूर्वजों से बतौर वारिस विरासतन प्राप्त हुई है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेतागण का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेतागण ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चले आते है तथा प्रथम पक्ष विक्रेतागण का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कबाजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेतागण के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेतागण की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी

0-मोपाना 1/32  
 नवावसिंह  
 25/1-5/1  
 श्रीराम  
 R. Bhagat  
 28/1/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 423547



(4)

आय नहीं हो पाती है और विक्रेतागण प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष विक्रेतागण का सरासर लाभ है। अतः उक्त आराजी भूमिधरी रकवा 2.3490 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश में से विक्रय रकवा 1.1745 है० भूमि जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेतागण को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राइट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बरेवज 1,82,04,750/- रु. (एक करोड़ ब्यासी लाख चार हजार सात सौ पचास रुपये) में बदस्त विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह निवासी ग्राम पालीडुंगरा, सौंख रोड़ तहसील व जिला मथुरा, खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त

15 मंगलवार  
 नवावसिंह  
 21.5.13  
 श्री. वि. वि.  
 श्री. वि. वि.  
 श्री. वि. वि.  
 श्री. वि. वि.  
 श्री. वि. वि.  
 श्री. वि. वि.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 926506

04 SEP 2011

(5)

करके व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी एकवा 1.1745 है0 भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेतागण व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष

10 भाषा नारद

नवावरीरद



Abhagel

शिव-5/2

श्रीराम

श्रीराम



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 926507



(6)

को पूरी जिम्मेदारी होगी तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेतागण व खरीदार दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सांलिग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है और उक्त आराजी में कोई पेड बोरिंग कुआ, टयूबवैल आदि नहीं है। बेची गयी आराजी के 200 मीटर त्रिज्या में आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है तथा खेती हो रही है। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थचित्त होशो-हवास में बिना किसी दबाब के स्वेच्छापूर्वक खूब सोच समझकर बिना किसी दबाब के लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। उक्त आराजी को बेचने का सौदा हम विक्रेतागण भगवान सिंह व नबाब सिंह व हमारे भाई हरी सिंह ने क्रेता के साथ इकरारनामा दिनांक 30.05.2014ई0 जिसका निबंधन

15 मिनट में  
नवाब सिंह  
20/5/14  
भगवान सिंह  
हरी सिंह  
भगवान सिंह  
हरी सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 925548

09 SEP 2014

(7)

कार्यालय उ० नि० मथुरा पर बही सं. 1 जिल्द सं. 10588 के सफा 155-178 प्रलेख सं. 8565 पर हुआ है, तय किया, परन्तु दुर्भाग्यवश हरी सिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके विधिक उत्तराधिकारी व वारिस उनके पुत्रगण राजेन्द्र व भूरी सिंह व अशोक कुमार व हम भगवान सिंह व नबाब सिंह द्वारा उक्त इकरारनामा के अनुपालन में उक्त भूमि का बैनामा क्रेता के हक में कर रहे हैं।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-


मूल्य का कुल 1,82,04,750/- रु विक्रेतागण ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-  
979000/- रु चैक सं. 200137 दि० 30.05.2014 कैनरा बैंक मथुरा इकरारनामा द्वारा प्राप्त किए।  
979000/- रु चैक सं. 200138 दि० 30.05.2014 कैनरा बैंक मथुरा इकरारनामा द्वारा प्राप्त किए।  
979000/- रु चैक सं. 200139 दि० 30.05.2014 कैनरा बैंक मथुरा इकरारनामा द्वारा प्राप्त किए।  
10,00,000/- रु चैक सं. 056230 दि० 01.02.2018 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भगवान सिंह  
7,50,000/- रु चैक सं. 056231 दि० 31.07.2019 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भगवान सिंह  
11,00,000/- रु चैक सं. 056232 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भगवान सिंह  
11,00,000/- रु चैक सं. 056233 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भगवान सिंह

10 भाषाणा ७८  
नवाब सिंह  
शरद सिंह  
भरारि सिंह  
भरारि सिंह  
भरारि सिंह  
भरारि सिंह

50 दि 4-5-14 5000

जन स्थान पंजीकरण की  
विक्रय पत्र का नाम पानवाराज सिंह  
लग्न संख्या 1820600

विक्रय पत्र नं०

प्रतिफल - 18204750 स्टाम्प शुल्क - 1820600 बाजारी मूल्य - 29363000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग  
20080श्री भगवान सिंह  
पुत्र श्री स्व० हीरालाल  
व्यवसाय: अन्य  
निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/02/2018 एवं 02:29:48

PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा





भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 925550

03 SEP 2014

(8)

11,39,000/-रु चैक सं. 056234 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भगवान सिंह  
10,00,000/-रु चैक सं. 056235 दि० 01.02.2018 कैनरा बैंक मथुरा बनाम नबाब सिंह  
7,50,000/-रु चैक सं. 056236 दि० 31.07.2019 कैनरा बैंक मथुरा बनाम नबाब सिंह  
11,00,000/-रु चैक सं. 056237 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम नबाब सिंह  
11,00,000/-रु चैक सं. 056238 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम नबाब सिंह  
11,39,000/-रु चैक सं. 056239 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम नबाब सिंह  
3,50,000/-रु चैक सं. 056240 दि० 01.02.2018 कैनरा बैंक मथुरा बनाम राजेन्द्र  
2,50,000/-रु चैक सं. 056241 दि० 31.07.2019 कैनरा बैंक मथुरा बनाम राजेन्द्र  
5,00,000/-रु चैक सं. 056242 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम राजेन्द्र  
5,96,000/-रु चैक सं. 056243 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम राजेन्द्र  
3,50,000/-रु चैक सं. 056244 दि० 01.02.2018 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भूरी सिंह

भगवान सिंह



नबाब सिंह



भूरी सिंह



राजेन्द्र



भूरी सिंह



-101 4-9-14 1000

जिन स्थान निम्नलिखित विधि विधि का नाम लाला राजा जे सिंह  
लगन संख्या 1000

निष्पादन लेखपत्रवैध सुनहमेव समझमें मेजेमुन ह्ये प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

त्र्यंबक गार्ग स्टाम्प विक्रेता  
ला0नं0.-10 उपनिबन्धक पं.

श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री स्व० हीरालाल

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2



श्री नबाब सिंह, पुत्र श्री स्व० हीरालाल

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 3



श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री स्व० हरी सिंह

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 4



श्री भूरी सिंह, पुत्र श्री स्व० हरी सिंह

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 5



श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री स्व० हरी सिंह

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री विपिन सिंह, पुत्र श्री महाराज सिंह

निवासी: ग्राम पालीइंगरा गोवर्धन मथुरा हाल

निवासी- महाराजा हाऊस 106,107,108

आनन्दलोक मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 925551

03 SEP 2014

(9)

2,50,000/- रु चैक सं. 056245 दि० 31.07.2019 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भूरी सिंह  
5,00,000/- रु चैक सं. 056246 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भूरी सिंह  
5,96,000/- रु चैक सं. 056247 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम भूरी सिंह  
3,50,000/- रु चैक सं. 056248 दि० 01.02.2018 कैनरा बैंक मथुरा बनाम अशोक कुमार  
2,50,000/- रु चैक सं. 056249 दि० 31.07.2019 कैनरा बैंक मथुरा बनाम अशोक कुमार  
5,00,000/- रु चैक सं. 056250 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम अशोक कुमार  
5,96,000/- रु चैक सं. 056251 दि० 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा बनाम अशोक कुमार  
1750/- रु नगद वक्त रजिस्ट्री बैनामा के प्राप्त किए।

विभागाध्यक्ष  
नवाबसिंह  
मुरारि  
शर्मा  
शर्मा  
शर्मा

102 4-9-14 1200

जन. स्थान  
पति का नाम  
लग्न संख्या 101

श्री निरपत सिंह, पुत्र श्री रामसरन

निवासी: पालीइंगरा गोवर्धन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

ऋषि गुरु स्तम्भ विद्यालय  
ला0न0-10 उपनियन्त्रक प. मथुरा

श्री जयवीर सिंह, पुत्र श्री नाहर सिंह

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

जयवीर सिंह

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे

नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 925552

03 SEP 2014

(10)

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 03.02.2018

टाईप किया : के0 के0 शर्मा, मथुरा।


ड्राफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा

15 गवाहानों में



साक्षी


1. निरपत सिंह पुत्र श्री रामसरन सिंह  
नि0 पालीडूंगरा तह0 व जिला मथुरा-9720477053



निरपत सिंह



2. जयवीर सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह  
नि0 नगला अमरा भाग नौगाँव तह0 व जिला मथुरा-9761870095



जयवीर सिंह

107 4-9-14 1000

जन स्थान जिला का नाम

लग्न संख्या 101

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13790 के पृष्ठ 343 से 366 तक

क्रमांक 1824 पर दिनांक 03/02/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

ला10न0.-10 उपनिबन्धक पारस मथुरा


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)  
उप निबंधक : सदर प्रथम  
मथुरा



नक्शा नजीक वकिल गौना गिरधरपुर तह. वकिल. मथुरा  
विहय संख्या = 1.1745 हू खसरा नं. 96

वि. भगवान सिंह झाड़ी  
कृष्ण विपिन सिंह



चक मार्ग  
नवावादीह शक

ए. जामे

मुरी, विहय सं. 96  
1.1745